

मध्यप्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक /07/सीसी/अड़तीस  
प्रति,

भोपाल,दिनांक-

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय,  
ग्वालियर,म0प्र0।

विषय:-विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 24 (xii) एवं 26 (एक) (v) एवं धारा 35 (j) के अन्तर्गत सत्र 2007-08 से नवीन एम.एड. पाठ्यक्रम के लिये अनुमति।

संदर्भ:-संस्था का अपील आवेदन क्र. 7398, दिनांक 22.5.07

—0—

संस्था द्वारा सत्र 2007-08 से नवीन एम.एड. पाठ्यक्रम की अनुमति हेतु आयुक्त कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया था।

संस्था का आवेदन निर्धारित तिथि के पश्चात् दिनांक 19.4.07 को आयुक्त कार्यालय में प्राप्त होने के कारण आयुक्त, उच्च शिक्षा के पत्र दिनांक 18.5.07 द्वारा अमान्य किया गया है।

संस्था द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन का परीक्षण किया गया। संस्था द्वारा अन्य सभी अर्हताओं की पूर्ति की है। अतः आयुक्त, उच्च शिक्षा के आदेश दिनांक 18.5.07 को निरस्त करते हुए संस्था को नवीन एम.एड. पाठ्यक्रम हेतु अनापत्ति प्रमाण जारी किया जाता है। यह अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने हेतु जारी किया जा रहा है।

किसी भी गलत जानाकारी के लिये संस्था जिम्मेदार होगी।

(डॉ.उमेश कुमार सिंह)  
उप सचिव,

म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक- 20/5/07

पृ0क्र0 1284 /07/सीसी/अड़तीस  
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मा0 मंत्रीजी, उच्च शिक्षा।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, शाखा-13, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर म0प्र0।
6. प्राचार्य, चौधरी दिलीप सिंह कन्या महाविद्यालय, भिण्ड, म0प्र0।

उप सचिव,

म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग